निर्णय बइजलास श्री शक्ति सिंह (R.A.S.)सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला–राजसमन्द

निर्णय दिनांक :–29.01.2020

प्र0सं0 19/2016 प्रा. पत्र

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार देवगढ़

.....प्रार्थी/–

बनाम

1. ग्राम पंचायत विजयपुरा पंचायत समिति, देवगढ़ जिला राजसमन्द।

.....विपक्षी/–

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

———:::———

उपस्थित :– श्री लुम्बसिंह वकल विपक्षी।

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि राजस्व ग्राम विजयपुरा के आ0नं0 273/234 रकबा 3.00 बीघा भूमि की ग्राम पंचायत विजयपुरा खातेदार है। इस भूमि पर ग्राम पचांयत बहेसियत खातेदार काबिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ नही कर सकता है। कृषी का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किया जाकर ही अकृषि उपयोग किया जा सकता है। ग्राम पंचायत विजयपुरा द्वारा भूमि को बिना अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराये अकृषि प्रयोजनार्थ (व्यावसायिक उपयोग) किया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा इस भूमि में अटल सेवा केन्द्र बना रखा है एवं पटियो का गौदाम लगा रखा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघन है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के खातेदारी अधिकार समाप्त कर भूमि को बिलानाम (सिवायचक) घोषित करने बाबत निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल, प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया। प्रत्युत्तर में विपक्षी की ओर से श्री लुम्बसिंह नियुक्त हुऐ जिन्होनें एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का भूमि रूपान्तरण बाबत प्रार्थना पत्र नगर पालिका देवगढ में पेश किया जा चुका है। भूमि रूपान्तरण बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 सिविल पी0आई0 एल0 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार स्थगन है, स्थगन आदेश समाप्त

.....निरन्तर

सहायक कलेक्टर

होते ही भूमि रूपान्तरण करा दिया जायेगा तब तक प्रकरण में यथास्थिति बनायी रखी जावे। वकील ने न्यायालय के आदेश की प्रति पेश की। ग्राम पंचायत ने भूमि परिवर्तन शुल्क रू0 32420/– नगर पालिका देवगढ में जरिये रसीद सं0 63 बुक नं0 02 दिनांक 16.05.2016 को जमा कराये जिसकी फोटो प्रति वकील प्रतिवादी ने पेश की जो पत्रावली में सलंग्न है। वकील विपक्षी ने प्रकरण में बहस की बहस सुनी। विद्ववान वकील विपक्षी ने बहस में तर्क दिया कि कोई भी खातेदार उसकी खातेदारी भूमि का कुलिया क्षेत्रफल का 1/50 वे भाग पर बिना रूपान्तरण कराये निर्माण कार्य कर सकता है। साथ ही वकील विपक्षी ने यह भी अवगत कराया कि भूमि रूपान्तरण बाबत पत्रावली तैयार कर नगर पालिका मण्डल देवगढ में जमा करायी जा चुकी है। वकील विपक्षी ने ग्राम पंचायत विजयपुरा द्वारा जारी 32420/– रू0 जमा रसीद पेश की।

हमनें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जवाब विपक्षी, नकल जमाबंदी नगर पालिका देवगढ़ द्वारा राशि जमा की रसीद एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा विद्ववान वकील विपक्षी की बहस पर मनन किया। कोई भी खातेदार उसकी खातेदारी भूमि के कुलिया क्षेत्रफल के 1/50 वे भाग पर बिना भूमि रूपान्तरण कराये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले सकता है। साथ ही तर्क दिया कि यह निर्माण सार्वजनिक हित में है जो आम जनता के उपयोग में आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 177 की श्रेणी में नही आने से प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जावें। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि रूपान्तरण शुल्क भी जमा कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण चलने योग्य नही है। अतः कार्यवाही ड्रोप की जावें।

उपर्युक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि कोई भी खातेदार काश्तकार उसके खाते की कुलिया भूमि के 1/50 वें भाग पर बिना रूपान्तरण भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले सकता है फिर भी विपक्षी खातेदार द्वारा रूपान्तरण शुल्क 32420/–रू0 नगर पालिका देवगढ में जमा करा दिये है। अतः प्रकरण में आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही होने से प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द
देवगढ